अविप्रा **अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर**

क्रमांकः अ.वि.प्रा./प.3/नियोजन शाखा/2024/ M 948/5662 दिनांकः 21-11-2024

श्रीमती रिद्धिमा शास्त्री पत्नी श्री अमित शास्त्री
निवासीः— 41—बी जय हनुमान कॉलोनी,
घुघरा, अजमेर।

विषयः— राजस्व ग्राम चाचियावास (जोन उत्तर) के खसरा संख्या 3076/1971 कुल क्षेत्रफल 3266.00 वर्गमीटर भूमि का आवासीय योजना के तहत ले—आउट प्लान स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व ग्राम चाचियावास (जोन उत्तर) के खसरा संख्या 3076/1971 कुल क्षेत्रफल 3266.00 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रस्तुत आवासीय योजना मानचित्र को भवन मानचित्र समिति (ले—आउट प्लान) की 03/2024वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त ले—आउट के क्रियान्वयन हेतु निम्न शर्तो की पूर्ण पालना किया जाना अनिवार्य होगा :—

1. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 24 मीटर रखे जाने हेतु वर्तमान सड़क मध्य से 12 मीटर दूरी तक भूमि आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही भूमि कुल क्षेत्रफल 142.30 व.मी पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
2. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में कोई निर्माण नही होने की सुनिश्चितता उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावेगी।
3. अनुमोदित मानचित्रानुसार मौके पर सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि के डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी के स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान संबंधित अग्रिम कार्यवाही प्रार्थी द्वारा की जावें।
4. आवेदित भूमि का क्रियान्वयन, स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा एवं टाउनशिप पॉलिसी—2010 के समस्त प्रावधानो की सुनिश्चित आवेदक द्वारा सम्पूर्ण रूप से किया जाना अनिवार्य होगा।
5. योजना के भूखण्डों पर सैटबैक व अन्य मानदण्ड भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन के प्रावधानानुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
6. आवेदित भूमि में से यदि किसी भी क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यंत्र सडक के सहारें शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चिता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावेगा।
7. योजना में सृजित भूखण्डों का पट्टा विलेख हेतु आवेदन से पूर्व समस्त बकाया राशि (यदि कोई देय हो) प्राधिकरण कोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत योजना मानचित्र प्राप्त होने के पश्चात रेरा रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य होगा व रेरा रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही पट्टा विलेख जारी किये जावेगे। इसी क्रम में योजना में सृजित भूखण्डो के स्थल मानचित्रों में रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
9. टाउनशिप पॉलिसी—2010 के प्रावधान अनुसार कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु पट्टो के आवेदन से पूर्व शपथ पत्र मय भूखण्डों की सूची कार्यलय में प्रेषित की जानी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

10. योजना मानचित्र में केवल तकनीकी अनुमोदन दिया जा रहा है, जिसे स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज नहीं माने जावे।
11. उक्त प्रस्तावित भूमि से संबंधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं की होगी। इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे की प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है तथा किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित नही है, इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
12. प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा कोई गलत कथन अथवा सारवान तथ्य छुपाया जाना सिद्व पाया जाये तो उक्त स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जावेगी।

स्वीकृत ले–आउट प्लान की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

(मुकेश मित्तल)
निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।

क्रमांक : अविप्रा./प.3/नियोजन शाखा/2024/ दिनांक :

प्रतिलिपिः–
1. उपायुक्त (उत्तर,) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. रक्षित पत्रावली के साथ ले–आउट प्लान की एक प्रति संलग्न कर ड्राईंग रिकॉर्ड में संधारण हेतु।

–Sd–
(मुकेश मित्तल)
निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।

Scanned with OKEN Scanner

SITE PLAN

SCALE -1"=40'-0"

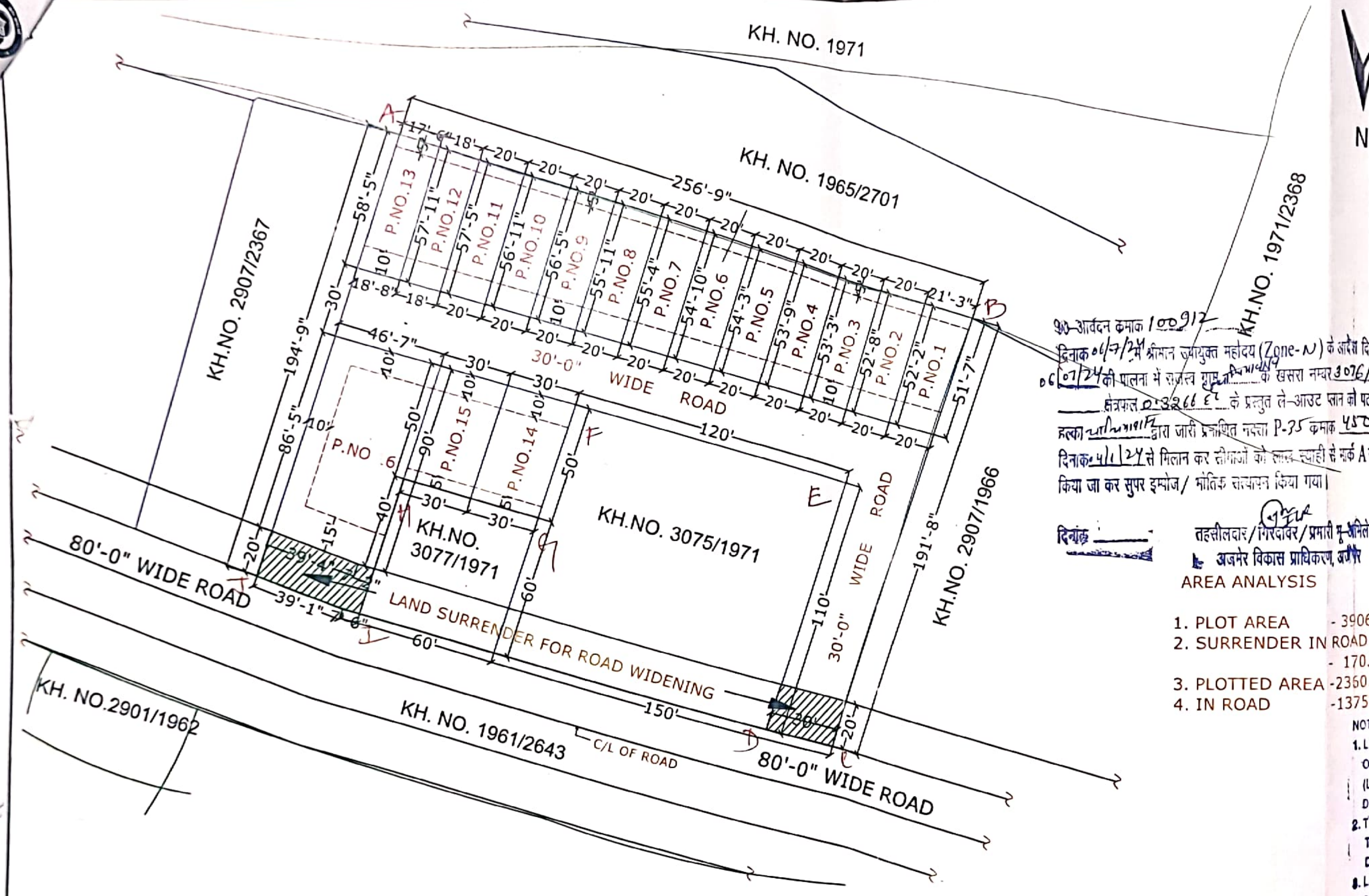

आवेदन कमांक 100912 दिनांक 06/7/24 में श्रीमान उपायुक्त महोदय (Zone-N) के आदेश दिनांक 06/07/24 की पालना में राजस्व ग्राम चाचियावास के खसरा नम्बर 3076/1971 क्षेत्रफल 0.3266 हे. के प्रस्तुत ले-आउट प्लान को पटवारी हल्का चाचियावास द्वारा जारी प्रमाणित नक्शा P-35 कमांक 450 दिनांक 4/1/24 से मिलान कर सीमाओं को लाल स्याही से मार्क A से J किया जा कर सुपर इम्पोज/ भौतिक सत्यापन किया गया।

दिनांक ______

तहसीलदार/गिरदावर/प्रभारी भू-अभिलेख
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

AREA ANALYSIS

P.NO. 1	:-118.88 SQ.YDS.
P.NO. 2	:-116.48 SQ.YDS.
P.NO. 3	:-117.69 SQ.YDS.
P.NO. 4	:-118.89 SQ.YDS.
P.NO. 5	:-120.00 SQ.YDS.
P.NO. 6	:-121.20 SQ.YDS.
P.NO. 7	:-122.41 SQ.YDS.
P.NO. 8	:-123.61 SQ.YDS.
P.NO. 9	:-124.81 SQ.YDS.
P.NO.10	:-125.92 SQ.YDS.
P.NO.11	:-127.03 SQ.YDS.
P.NO.12	:-115.33 SQ.YDS.
P.NO.13	:-116.88 SQ.YDS.
P.NO.14	:-166.67 SQ.YDS.
P.NO.15	:-166.67 SQ.YDS.
P.NO.16	:-457.69 SQ.YDS.
TOTAL	:-2360.16SQ.YDS.

AREA ANALYSIS

1. PLOT AREA - 3906.13 SQ.YDS./3266.00 SQ.M(100.00%)
2. SURRENDER IN ROAD AREA - 170.19 SQ.YDS. / 142.30 SQ.M.(4.36%)
3. PLOTTED AREA -2360.16 SQ.YDS./1973.38 SQ.M.(60.42%)
4. IN ROAD -1375.44 SQ.YDS./1150.03 SQ.M (35.22%)

NOTE :

1. LAYOUT PLAN APPROVED VIDE AGENDA NO. 02 OF BUILDING PLAN COMMITTEE'S (LAYOUT PLAN) 03/2024 MEETING DATED 07.06.2024
2. THIS IS THE ONLY TECHNICAL ... TOWNSHIP POLICY ... DOCUMENT OF OWNER
3. LAYOUT PLAN IS TO BE RE... ORDER NO. ADA/P ... M 948/5662 DATED 21.11.2024

Er. Sunil Kumar Jain B.E. Civil APPROVED ARCHITECT Acme Architects & Builders Shantipura, A.C.R., AJMER Ph: 9414002256, 2424456	PATWARI	J.EN.	सहायक नगर नियोजक अ.वि.प्रा., अजमेर AST. TOWN PLANNER	DIR. PLANNING निदेशक (आयोजना) अ.वि.प्रा., अजमेर
ARCHITECT	APPLICANT	D'MAN	TEHSILDAR तहसीलदार अ.वि.प्रा., अजमेर	DY. COMMISSONER

SITE PLAN SHOWING OF KHASARA IMPOSE , SURROUNDING LAND ON KHSARA No.3076/ 1971 , VILLAGE - CHACHIYAWAS, TEH. AJMER.DIST.AJMER BELONGS TO :- RIDHIMA SHASTRI W/o. Sh. AMIT SHASTRI

Scanned with OKEN Scanner